न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
30 / 2024प्रा.पत्र / 2024	14.05.2024	19.09.2025

सुरेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0।

..........प्रार्थी

बनाम

1–श्री मनीष कुमार जैन पुत्र श्री कैलाश चन्द जैन निवासी सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स आदिनाथ ट्रेडिंग कम्पनी सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज.। पिनकोड–304502 मोबाईल नं. 9414439594

2–मैसर्स आदिनाथ ट्रेडिंग कम्पनी सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज.। पिनकोड–304502

3–श्री रामजीलाल गोयल पुत्र श्री मदन लाल गोयल निवासी 44 कान्ति नगर, बनीपार्क जयपुर राज. प्रोपरायटर मैसर्स गोयल ड्राई फ्रूट्स 110 बराह जी का चौक दीनानाथ जी गली चांदपोल बाजार जयपुर राज.। पिनकोड–302001

4–मैसर्स गोयल ड्राई फ्रूट्स 110 बराह जी का चौक दीनानाथ जी गली चांदपोल बाजार जयपुर राज.। पिनकोड–302001

5–श्री ए किरण कुमार कोडगी पुत्र श्री अमासेबेल गोपालकृष्णा कोडगी निवासी अमासेबेल, उडूप्पी कर्नाटक प्रोपरायटर मैसर्स कुमार एग्रो फूड प्रोडक्ट्स मच्छातू, अमासेबेल, कुण्डापुर, उडूप्पी कर्नाटक। पिनकोड–576227

6–मैसर्स कुमार एग्रो फूड प्रोडक्ट्स मच्छातू, अमासेबेल, कुण्डापुर, उडूप्पी कर्नाटक। पिनकोड–576227

.......अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1 -पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री तेजमल जैन उप0।

दिनांक 19.9.25

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.10.2023 को समय 04:30 पी.एम. पर मैसर्स आदिनाथ ट्रेडिंग कम्पनी सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहाँ पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री मनीष कुमार जैन पुत्र श्री कैलाश चन्द जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स आदिनाथ ट्रेडिंग कम्पनी सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री मनीष कुमार जैन पुत्र श्री कैलाश चन्द जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री मनीष कुमार जैन पुत्र श्री कैलाश चन्द जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. /मालिक होना बताया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय करने हेतु दुकान में कागज के कार्टून में लगभग 15–16 मूल पैक पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 250–250 ग्राम पैक **काजू नट्स (गोकुल ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री मनीष कुमार जैन पुत्र श्री कैलाश चन्द जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री मनीष कुमार जैन पुत्र श्री कैलाश चन्द जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर यह **काजू नट्स (गोकुल ब्राण्ड)** जिसके बैच नं. 543 एवं पैकिंग की दिनांक 01.10.2023 थी, वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, 250–250 ग्राम के 4 मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **काजू नट्स (गोकुल ब्राण्ड)** 250–250 ग्राम के 4 मूल पैक को ज्यों का त्यों अलग–अलग कागज के गत्ते के चार डिब्बों में अलग–अलग रखकर अच्छी तरह एयरटाईट बन्द कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–3850 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3850 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एव गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते मे लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री मनीष कुमार जैन पुत्र श्री कैलाश चन्द जैन मैसर्स आदिनाथ ट्रेडिंग कम्पनी सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज. ने बतौर वारन्टी मैसर्स गोयल ड्राई फ्रूट्स 110 बराह जी का चौक दीनानाथ जी गली चांदपोल बाजार जयपुर राज. का बिल पेश किया। आवेदक द्वारा मैसर्स गोयल ड्राई फ्रूट्स से सम्पर्क किए जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने बतौर वारन्टी मैसर्स कुमार एग्रो फूड प्रोडक्ट्स मच्छातू, अमासेबेल, कुण्डापुर, उडूप्पी कर्नाटक का वारन्टी बिल प्रेषित कर उक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/1237 दिनांक 14.12.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एलएस/4456/एक्ट/2023/4472 दिनांक 06.11.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया **काजू नट्स (गोकुल ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री तेजमल जैन उपस्थित हुए। अप्रार्थी ने बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **काजू नट्स (गोकुल ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुमाने से दण्डित किया जावें।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **काजू नट्स (गोकुल ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 10,000/- (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.9.25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन ...)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक